

बिहार सरकार

उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

प्रेषक:- पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

वाणिज्य-कर आयुक्त -सह- प्रधान सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 9.1.18

विषय:- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अंतर्गत कार्यरत ईकाइयों को 25 प्रतिशत वैट प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रो० नीति, 2011 के अंतर्गत वैट प्रतिपूर्ति हेतु अनुलग्नक-I में ईकाइयों की सूची एवं मूल आवेदन पत्र संलग्न है। यह सभी आवेदन पत्र क्रम अनुसार Online प्राप्त किये गये हैं। संलग्न ईकाइयों को वैट की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

(i) ईकाई द्वारा भुगतान किए गए कर की रेकॉर्ड (record) से जाँच कर एवं पूर्व में की गई प्रतिपूर्ति की जाँच वाणिज्य-कर विभाग द्वारा की जाएगी। भुगतान किए गए कर के जाँचोपरान्त निर्धारित अधिसीमा पूँजी निवेश के 300 प्रतिशत तक अथवा 5 वर्षों की अवधि अर्थात् 01.07.2011 से 30.06.2016 तक ही वैट प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में ईकाई को निर्धारित अधिसीमा के ज्यादा राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(ii) ईकाई द्वारा भुगतान किए गए Advance tax पर वैट प्रतिपूर्ति का भुगतान देय नहीं होगा। Advance tax का सामंजन बकाये कर के विरुद्ध करने के पश्चात् जो वास्तविक कर का भुगतान होगा उसी के विरुद्ध ही प्रतिपूर्ति अनुमान्य होगा।

(iii) ईकाई को वैट की प्रतिपूर्ति करते समय यह ध्यान रखा जाय कि यह सुविधा उन्हीं ईकाइयों को देय है जो उत्पादन में हैं व कार्यरत है। तथा ईकाई जिस वस्तु के उत्पादन में है, उसी के उत्पादित सामग्री पर चुकाए गए कर के विरुद्ध प्रतिपूर्ति किया जाय।

(iv) जो ईकाई Trading या Repacking का कार्य कर रही है, उन्हें वैट प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा।

(v) ईकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों/ प्रमाण-पत्रों/ अभिलेखों के भविष्य में गलत पाए जाने एवं अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि Public Demand Recovery Act के तहत वसूल कर ली जाएगी।

(vi) वैट प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान की गई राशि की सूचना अविलंब विभाग को दी जाएगी ताकि उद्योग विभाग का अभिलेख अद्यतन रखा जा सके।

(vii) उक्त राशि का व्यय उद्योग विभाग द्वारा आवंटित राशि से किया जाएगा।

अनुलग्नक : यथोपरि।

ह0/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-.....

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना एवं कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-


उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

ज्ञापांक- 132

पटना, दिनांक 9.1.18

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि:- संबंधित महाप्रबंधक/संबंधित ईकाइयों/आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

अनुलग्नक-1 ईकाइयों की सूची

Sl No	Vat Regd No & Circle	Claim for the Financial Year	Unit Name & Address	Total Investment	Total Refund taken till date	Claimed Amount of refund	Proposed Adjustment	Percent age
265 266	10363494066	06-2016 To 07-2016	Mahabir poles, Barauni Industrial Area, P.o.-Tilrath, Begusarai-851122	3071756	0	501829	156822	5
277 To 283	10153825078	10-2015 To 06-2017	Banshi Air Gases Pvt Ltd, Industrial Area, Fatuha	10157000	0	1202070	375648	4
295	10150734072	10-2015 To 03-2016	Nalanda Biscuit Company Limited, Khagaul road, Naya Tola, Phulwari Sharif, Patna	41857819	25070083	16479997	4119999	70
306	10080381039	04-2014 To 06-2016	M/s Keshari Wire Products Pvt Ltd, Mogalpur, Patnacity	942268	0	495695	495695	53
334 335	10311995020	04-2016 To 03-2017	Mahabir Bajrang Agro Chemical Pvt Ltd, D-6, Industrial Estate, Bela, Muzaffarpur	23237000	0	6910023	2159382	9
337	10300583067	04-2015 To 03-2016	Nath Industries, Bela Industrial Area, Hajipur	626073	282313	206950	64672	55
340	10080657004	10-2015 To 03-2017	Ankita Polytubes Pvt Ltd, Sandalpur road, Patnacity, Near Kumrahar	4534000	0	13186950	4120922	91
240 241	10041042010	2013-14 To 2015-16	Shree Hanuman Industries, Dumri Road, Bihta, Patna	1019000	0	1368245	427577	42


 उप उद्योग निदेशक,
 बिहार, पटना


 उद्योग निदेशक,
 बिहार, पटना